DoIT.C

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक : प.6(1)/सू.प्रौ/2023/04045/2023 दिनांक: 12.08.2023

आदेश

राजस्व (ग्रुप–1) विभाग की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 तथा वित्त (व्यय–3) विभाग की आईडी संख्या 172301822 दिनांक 11.08.2023 के क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आदेश क्रमांक एफ2(6762)/सूप्रौ/संस्था/15/पार्ट–11/04044/2023 दिनांक 11.08.2023 द्वारा नवगठित 17 जिलों (अनूपगढ, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना–कुचामन, दूदू, गंगापुरसिटी, केकडी, कोटपूतली–बहरोड, खैरथल–तिजारा, नीम का थाना, फलौदी, सलूम्बर, साचौर, शाहपुरा, जयपुर ग्रामीण एवं जोधपुर ग्रामीण) में जिला कार्यालयों के सृजन एवं नवीन पदों के सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के 17 नवीन जिला कार्यालयों हेतु वित्त विभाग से प्राप्त सहमति अनुसार प्रत्येक जिला कार्यालय के लिए निम्नानुसार आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्रं.सं.	आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय	राशि
1	किराये का वाहन (As and when basis)	01
2	टेलिफोन	01
3	एक बारीय खर्चा कम्प्यूटर मय प्रिंटर, स्कैनर आदि।	3.00 लाख
4	एक बारीय आवश्यक फर्नीचर आदि।	5.00 लाख
5	किराये का भवन	3.00 लाख

उपरोक्त 17 नवीन जिला स्तरीय कार्यालयों के लिए स्वीकृत पद एवं कार्यालय संचालन हेतु व्यय विभाग के जिला कार्यालयों के संगत बजट मदों में उपलब्ध प्रावधान से किया जायेगा।

क्रं.सं.	बजट मद	जिला
1	3454-02-203-(01)-[02]-05 कार्यालय व्यय 3454-02-203-(01)-[02]-36 वाहन किराया	अनूपगढ, ब्यावर, डीग, दूदू, गंगापुरसिटी, केकडी, कोटपूतली–बहरोड, खैरथल–तिजारा, नीम का थाना, फलौदी, साचौर, जयपुर ग्रामीण एवं जोधपुर ग्रामीण
2	3454-02-789-(01)-[03]-05 कार्यालय व्यय 3454-02-789-(01)-[03]-36 वाहन किराया	बालोतरा, डीडवाना–कुचामन, शाहपुरा
3	3454-02-796-(02)-[03]-05 कार्यालय व्यय 3454-02-796-(02)-[03]-36 वाहन किराया	सलूम्बर

अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता होने पर यथासमय प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(सुनिल छाबडा)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्यौगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, सूचना प्रौद्यौगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
5. संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी, सूचना प्रौद्यौगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव